



21

191

न्यायालय श्रीमान् रिफ्रेन्स बोर्ड महोदय, ग्वालियर केम्प - सागर

अपील - 27-II-16

1. रामरतन पटेल तनय खुशाल पटेल
 2. चिंतमन पटेल पिता रामरतन पटेल
- दोनों निवासी ग्राम बनहट तह. छुरई जिला सागर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. वारेलाल तनय खुशाल पटेल
 2. ब्रजमोहन तनय वारेलाल पटेल
 3. कृष्ण शंकर तनय वारेलाल पटेल
 4. राम लखन तनय वारेलाल पटेल
- सभी निवासी ग्राम बनहट तह. छुरई जिला सागर म.प्र.

----- प्रतिअपीलार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. मू.रां.सं. :-

अपीलार्थीगण यह अपील न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, सागर संभाग सागर म.प्र. को अपील प्र.क्रं. 620/अ-76/2013-14 में दिनांक 11.09.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दुःखत होकर पेश करते हैं :-

अपील के आधार

1. यह कि, अपीलार्थीगण ने चिचरण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर के समक्ष धारा 89 म.प्र.मू.रां.सं. का आवेदन पत्र पेश किया था जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, छुरई के समक्ष उक्त आवेदन में अपना प्रतिवेदन एवं जचि प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु उक्त प्रकरण को भेजा था। जिसके विचारण में अपीलार्थी रामरतन के नाम से ग्राम बनहट के ख.नं. 406 रकबा 5.10 एकड़ भूमि जिसका बंदोवस्त के पूर्व ख.नं. 220/1 रकबा 4.95 एकड़ था। एवं अपीलार्थी चिंतमन के नाम से वर्ष 2008 में ख.नं. 419/1 रकबा 2.00 एकड़ व ख.नं. 419/4 रकबा 0.10 एकड़ भूमि थी जिसके बंदोवस्त पूर्व ख.नं. 220/2 रकबा 2.50 एकड़ भूमि थी जिसमें से 0.50 एकड़ भूमि विक्रय कर देने

2/12
22-12-15

24-2-16
22/12/15

Handwritten mark

Handwritten signature

